महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 12 /71–4–2018–15 / 18

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊ दिनांक 08 **मार्च, 2018**

विषयः– शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीति–निर्धारित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2018 / 4535, दिनांक 23.01.18, पत्र संख्या–एम0ई0–3 / 2017 / 4642, दिनांक 03.03.2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि National Eligibility cum Entrance Test (NEET) P.G.-2018 की मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों / संस्थानों / मेडिकल कालेजों की समस्त सीटों एवं निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित मेडिकल कालेजों / निजी मेडिकल कालेजो / डेण्टल कालेजों तथा अल्पसंख्यक मेडिकल / डेण्टल कालेजों में शैक्षणिक सत्र 2018–19 हेतु स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति–निर्धारित किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) <u>मेरिट सूची, छात्रों का पंजीकरण तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना :–</u>

नीट पी0जी0 2018 के माध्यम से चयनित छात्रों का ऑनलाइन पंजीकरण, डाटा कैप्चर, फोटो अपलोड, शुल्क भुगतान आदि की कार्यवाही किए जाने हेतु तकनीकी संस्था के रूप में National Informatics Center (एन0आई0सी0) को नामित किया जाता है।

नीट पी0जी0 2018 का ब्रोशर तैयार किए जाने तथा पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्सकों को 10 से 30 प्रतिशत के मध्य नियमानुसार (वेटेज) प्रदान करते हुये स्टेट मेरिट सूची तैयार किए जाने हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को तकनीकी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।

नीट पी0जी0, 2018 की स्टेट कोटे की 50 प्रतिशत सीटों के लिये आयोजित की जाने वाली काउंसिलिंग से संबंधित विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने हेतु किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को तकनीकी संस्था नामित किया जाता है।

तकनीकी संस्था को सहयोग प्रदान करने के लिए महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नोडल अधिकारी भी नामित किया जायेगा। तकनीकी संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा ससमय विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किंये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) (क) <u>अर्हताएं (**Eligibility**)</u>

- अभ्यर्थी द्वारा नीट पी0जी0,2013 की परीक्षा में प्रतिभाग किया गया हो तथा नियमानुसार स्टेट कोटे की सीटों हेतु अर्ह घोषित किया गया हो।
- अभ्यर्थी द्वारा एन0आई0सी0 के वेबसाइट पर निर्धारित शुल्क जमा करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण कराया गया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी विशिष्टता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में उसी विशिष्टता की डिग्री पाठ्यक्रम हेतु अर्ह हैं।

(ख) <u>अनर्हताएं (**Non Eligibility**)</u>

- ऐसे अभ्यर्थी, जिनकी इण्टर्नशिप 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण न हुई हो।
- ऐसे अभ्यर्थी, जो वर्तमान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों अथवा अनुत्तीर्ण हों, वे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
- ऐसे अध्ययनरत अभ्यर्थी, जिन्होनें नीट पी0जी0 2018 की अधिसूचना जारी होने की तिथि (दिनांक 17.10.2017) से पश्चात अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया हो।
- ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होनें एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 परीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(3) <u>काउंसिलिंग प्रकिया:—</u>

नीट पी0जी0 2018 की उत्तर प्रदेश राज्य की सीटों हेतु आनलाइन काउंसिलिंग राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0), योजना भवन, लखनऊ के माध्यम से कराया जायेगा।

(4) <u>पंजीकरण/काउंसिलिंग शुल्क:—</u>

नीट पी0पी0 2018 की काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने हेतु पंजीकरण शुल्क रू0 2,000/— (रूपया दो हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी (दोनो चक्रों की काउंसिलिंग हेतु) तथा माप अप राउड हेतु रू0 1,000/— (रूपया एक हजार मात्र) प्रति अभ्यर्थी (माप अप

राउंड में प्रतिभाग करने हेतु सभी अर्ह अभ्यर्थियों हेतु पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा) पंजीकरण शुल्क आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा कराया जायेगा।

(5) <u>धरोहर धनराशि (Security Money) :–</u>

नीट पी0जी, 2018 की काउंसिलिंग हेतु राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों हेतु धरोहर धनराशि (Security Money) के रूप में रू0 30,000/– (रूपया तीस हजार मात्र) तथा निजी क्षेत्र के मेडिकल एवं डेण्टल कालेजों हेतु रू0 2,00,000/– (रूपया दो लाख मात्र) निर्धारित किया जाता है। राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/डेण्टल कालेजों में आवंटन प्राप्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश लेने के उपरान्त उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक एकाउण्ट में वापस कर दी जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्राप्त नहीं किया जायेगा, उनकी धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।

नीट पी0जी0, 2018 हेतु आयोजित की जाने वाली आनलाइन काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों से धरोहर धनराशि (Security Money) च्वायस फिलिंग से पूर्व आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जमा करा लिया जाये।

(6) <u>त्याग पत्र के सम्बन्ध में:–</u>

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–सिविल 267/2017 दार–उल–सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में प्रवेश की द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग समाप्त होने के पश्चात प्रवेशित अभ्यर्थी को सीट रिक्त करने की अनुमति नहीं होगी।

(7) <u>प्रवेश प्रक्रिया:–</u>

(क) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–सिविल 267/2017 दार–उल–सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में निजी मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश हेतु विभिन्न राजकीय मेडिकल कालेजों को नोडल सेन्टर बनाकर अभिलेखों का सत्यापन कराकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। सत्यापन के समय अभ्यर्थी के अभिलेख गलत पाये जाने पर आवंटन/प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा तथा ऐसी दशा में धरोहर धनराशि (Security Money) जब्त कर ली जायेगी।

राजकीय मेडिकल कालेजों को नोडल सेन्टर बनाये जाने के सम्बन्ध में पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेंगे।

(ख) निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों में प्रवेश के सम्बन्ध में रिट याचिका संख्या–सिविल 267/2017 दार–उल–सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में विभिन्न मेडिकल कालेजों में पी0जी0 की सीटें रिक्त रहने पर रिक्त सीटों का 10 गुना, ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें प्रथम, द्वितीय तथा मापअप राउण्ड की

काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई हो और वह यू0पी0 नीट, 2018 में पंजीकृत हुए हों, की सूची मेरिट के आधार पर विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जायेगी ताकि रिक्त सीटों पर भरा जा सके।

(8) बाण्ड के सम्बन्ध में:–

(क) उत्तर प्रदेश राज्य में पी0जी0/सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात् राजकीय क्षेत्र में अनिवार्य सेवा सम्बन्धी बाण्ड व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ख) स्टेट/ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय रू0 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र) का बाण्ड महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में इस आशय से देय होगा कि यदि प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व अपनी सीट से त्यागपत्र देता है, तो रू0 5,00,000/– (रूपया पांच लाख मात्र) का भुगतान महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को देय होगा।

(ग) स्टेट/ऑल इण्डिया काउंसिलिंग के माध्यम से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/डेण्टल कालेजों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने से पूर्व यदि अपनी सीट से त्यागपत्र देता है, तो उक्त पाठ्यक्रम की समस्त शैक्षणिक शुल्क (Tution Fee) सम्बन्धित मेडिकल कालेज/विश्वविद्यालय/डेण्टल कालेज को देय होगा।

(9) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों के सम्बन्ध में आरक्षण व्यवस्था:–

(अ) प्रदेश में स्थापित समस्त राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/स्वायत्तशासी संस्थानों के सम्बन्ध में निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा:–

वर्टिकल आरक्षण

अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

हारिजान्टल आरक्षण

दिव्यांग श्रेणी के छात्र	03 प्रतिशत (पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन–2000 के अनुसार)

(ब) स्पेशल अपील संख्या–689/2015, सुरेन्द्र कुमार कांवत बनाम यूनियन ऑफ इण्यिा व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से उ0प्र0 में विस्थापित होकर आए

अभ्यर्थियों को नीट पी0जी0, 2018 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(स) रिट याचिका संख्या–1968/2017 ज्योति शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा हॉरिजाण्टल आरक्षण के संबंध में दिनांक 24.3.2017 को पारित आदेश द्वारा क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण का लाभ अभ्यर्थी की अपनी श्रेणी में उपलब्ध सीटों पर ही अनुमन्य होगा, जो मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(द) उत्तर प्रदेश राज्य की नीट पी0जी0, 2018 की काउंसिलिंग हेतु जारी किए जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(च) प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों में एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में ऑल इण्डिया कोटा की 15 प्रतिशत सीटों पर अन्य प्रदेश के प्रवेशित अभ्यर्थियों को प्रदेश कोटा की पी0जी0 सीटों पर आरक्षण सम्बन्धी लाभ देय नहीं होगा तथा वे सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।

(10) निजी क्षेत्र के कालेजों में प्रवेश शुल्क एवं डोमिसाइल के संबंध में

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों/अल्पसंख्यक संस्थाओं में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रदेश के मूल निवासियों के साथ–साथ अन्य राज्यों के निवासियों को भी सीट आवंटन हेतु अर्ह माना जायेगा।

निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों का शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए शुल्क निर्धारण हेतु पृथक से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

(11) काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में :–

शासनादेश सं0–769/71–2–17, दिनांक 10.07.2017 के बिन्दु संख्या–8 में निहित व्यवस्थानुसार ही नीट पी0जी0, 2018 की आनलाइन काउंसिलिंग के संचालनार्थ एवं अन्य आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजों से आबंटन के परिप्रेक्ष्य में प्रति कालेज रू0 1,00,000/– (धनराशि रूपये एक लाख मात्र) जमा कराया जायेगा।

(12) पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को weightage/आरक्षण का लाभः–

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारक चिकित्सकों को मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं एम0सी0आई0 रेगुलेशन के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नीति निर्धारण कर जिन चिकित्साधिकारियों को नीट पी0जी0 2018 की स्नातकोत्तर सीटों (एम0डी0/एम0एस0) की काउंसिलिंग हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा उन्हें नियमानुसार weightage (प्राथमिकता) प्रदान करते हुए स्टेट मेरिट सूची के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों/निजी मेडिकल कालेजों में प्रवेश दिया जायेगा।

पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों/विश्वविद्यालयों में पी0जी0 डिप्लोमा कोर्स The post-graduate Regulation, 2000 के सुसंगत प्राविधानों एवं इस संबंध में चिकित्सा विभाग के शासनादेश संख्या–4197/चि0–3–16–जी–179/2005 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) काउंसिलिंग बोर्ड का गठनः–

नीट पी0जी0 2018 की काउंसिलिंग ऑनलाइन प्रकिया के माध्यम से कराये जाने हेतु काउंसिलिंग बोर्ड का गठन निम्नवत् किया जाता हैः–

1. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0– **अध्यक्ष**
2. शासन स्तर से नामित एक अधिकारी– सदस्य
3. डा0 ए0के0सिंह, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, प्लास्टिक सर्जरी विभाग, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ– सदस्य
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर सदस्य
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा महानिदेशालय से नामित एक अधिकारी– सदस्य

(14) अल्पसंख्यक संस्थाओं हेतु आरक्षणः–

धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों को उनके बायलॉज के अनुसार अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(15) काउंसिलिंग हेतु समय सारिणीः–

रिट याचिका संख्या–76/2015 आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया में पारित मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18.01.2016 एवं रिट पिटीशन सं0–सिविल/267/17 दार–उल सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2017 के अनुपालन में नीट पी0जी0, 2018 की प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग निम्नलिखित शिड्यूल के अनुसार करायी जायेगीः–

(I) **प्रथम चक्र की काउंसिलिंग**

S.NO	IMPORTANT ANNOUNCEMENT WITH DATES & TIME	
1	Date of Online registration	From 23rd March 2018, to 28TH March 2018, 10 AM to 10PM (6 Days)
2	Expected date of declaration of online merit list	31st March 2018
3	Date of commencement of first online counseling (Choice filling)	1st April 2018 to 3rd April 2018 (3 Days) 10AM to 10PM
4	Declaration of result of seat allotment 1st list	**5th April, 2018**
5	Date for downloading allotment letters	**6th April to 11 April 2018**
6	Last date for joining the allotted seat from first online counseling :	**12th April 2018**

(II) द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग

S.NO	IMPORTANT ANNOUNCEMENT WITH DATES & TIME	
1	Date of Online registration	From 13th April 2018 to 15th April 2018 10 AM to 10 PM (3 Days)
2	Expected date of declaration of online merit list	17th April 2018
3	Surrender AIQ Seats	22nd April 2018 After 5:00 PM
4	Seat chart preparation	23rd April 2018 Till 12 Noon
5	Seat Chart - NIC	23rd April 2018 Up to 06:00 PM
6	Date of commencement of Second online counseling (Choice filling)	24th April 2018 to 25th April 2018 From 11 AM Till 05 PM
7	Declaration of result of seat allotment 2nd list	**26th April 2018**
8	Date for downloading allotment letters	26th April 2018 to 28th April 2018 **(3 Days)**
9	Last date for joining the allotted seat from Second online counseling :	28th April 2018

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2018 में निम्न आदेश पारित किया गया है:–

"For future admissions in subsequent academic sessions, we direct that after the first and second round of counseling, a window should be opened for the candidates who had taken admission to upgrade their stream and thereafter allow the remaining seats to be filled up in the Mop up round. By this procedure allowing the candidates to upgrade their seats would not amount to third round of counseling."

* उपरोक्त निर्णय के क्रम में अवशेष सीटों के सम्बन्ध में समय–सारणी (Schedule) निम्नवत हैं :–

क0सं0	IMPORTANT ANNOUNCEMENT WITH DATES & TIME	
1.	**Surrender State Quota Seats**	28th April 2018 After 5:00 PM
2.	**Seat Chart to NIC**	29th April 2018
3.	**Choice filling**	30th April 2018 (10:00AM to 5:00 PM
4.	**Declaration of result**	2nd May 2018
5.	Downloading allotment letters	2nd and 3rd May 2018
6.	Last date for joining	3rd May 2018

* उल्लेखनीय है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 09.05.2017 तथा 18.01.16 में केवल दो काउसिलिंग कराने की व्यवस्था की गयी है किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2018 में पारित आदेशों के अनुक्रम में माप अप राउण्ड से सम्बन्धित समय–सारणी (Schedule) निम्नवत है :–

(III) Mop Up Round

S.NO	IMPORTANT ANNOUNCEMENT WITH DATES & TIME	
1	Date of Online registration	2nd May 2018 to 4th May 2018 10AM to 10PM 3 Days
2	Government College (Medical & Dental)	6th May 2018
3	Private Medical College	7th May, 2018
4	Private Dental College	8th May 2018
5	Admission	On Spot / 12th May 2018 ?

(iv) List to Colleges

1	Forwarding the List of Students in order of Merit equaling to ten times the number of vacant seats to the Medical Colleges by the Counseling authority.	13th May 2018
2	Last date of Joining	18th May 2018

Note:- 1. * मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.01.2018 भावना तिवारी व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य तथा वैभव कुमार सिंह बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में निम्न आदेश पारित किया गया है:–

"For future admissions in subsequent academic sessions, we direct that after the first and second round of counseling, a window should be opened for the candidates who had taken admission to upgrade their stream and thereafter allow the remaining seats to be filled up in the Mop up round. By this procedure allowing the candidates to upgrade their seats would not amount to third round of counseling."

* मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त बिन्दु के सम्बन्ध में स्थिति यह है कि द्वितीय राउण्ड की काउंसिलिंग में छात्रों को प्रथम राउण्ड में आवंटित सीट को अपग्रेड करने का अवसर प्रदान किया जाता है और अवशेष सीटों को मॉप राउण्ड द्वारा भरा जाता है।

मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.01.2016 आशीष रंजन व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य तथा दार–उस–सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट व अन्य बनाम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 09.05.2017 द्वारा केवल दो काउसिलिंग कराने की व्यवस्था की गयी है।

* यह राउण्ड मा0 न्यायालय के निर्णय के अधीन होगा।

2. मॉप अप राउण्ड के पश्चात् रिक्त सीटों के सापेक्ष दी जाने वाली सूची का पंजीकरण मॉप अप राउण्ड की काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों से विकल्प लिया जायेगा।

3. मा0 न्यायालय तथा भारत सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तिथियों में परिवर्तन किया जा सकता है।

(16) अभ्यर्थियों के शिकायत निवारण (Redressal of Student's Grievances) के सम्बन्ध में:–

रिट याचिका संख्या–26907/2017 डा0 मुक्ताकार सिंह बनाम राज्य व अन्य वाद में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 08.11.2017 में निम्न आदेश पारित किया गया है :–

"The Principal Secretary, Medical Education & Training, Lucknow, U.P.-respondent no.1 shall allocate responsibility for redressal of student's grievances to specific officials who can be held accountable. Designation and contact details of such officials shall be published in the admission brochures in the next academic session."

उक्त आदेशों के अनुपालन में पृथक से सुसंगत शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

(17) **धरोहर धनराशि (Security Money) की वापसी के सम्बन्ध में:–**

प्रदेश के नीट पी0जी0, 2018 में प्रतिभाग करने वाले सभी अभ्यर्थियों से उनका बैंक एकाउण्ट, आई0एफ0एस0सी0 कोड तथा बैंक का नाम रजिस्ट्रेशन के संमय ही प्राप्त किया जायेगा, जिससे ऐसे अभ्यर्थी, जो धरोहर धनराशि (Security Money) की वापसी हेतु अर्ह हैं, को काउंसिलिंग के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र धनराशि वापस की जा सके।

कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 12(1)/71–4–18–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया /डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
2. कुलपति/कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलपति, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई इटावा।
4. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/डा0 राम मनोहर लाहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
6. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
8. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण।
9. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
10. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा/चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।